न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या–07/2026

1. विजय सिंह पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रपाल पुत्र मंगनीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. कमला पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. कृष्णलाल पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. दिलावर पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. बुधराम पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. बाधो देवी पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. मुकेश पुत्र बिमला जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. मन्जु पुत्री विमला जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. मनोहरलाल पुत्र बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. रोशनी पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— असल रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़) ★

13. पूर्णराम पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
14. मालाराम पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
15. रामप्रताप पुत्र मगनीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
16. बंशीलाल पुत्र मगनीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
17. प्रकाश चन्द्र पुत्र मगनीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
18. रजनी पत्नि महेन्द्र पाल जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

20. आरजु पुत्री महेन्द्रपाल जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
21. आदराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
22. फरसाराम पुत्र भूपसिंह जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
23. हनुमान पुत्र भूपसिंह जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
24. बतेरी पुत्री भूपसिंह जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
25. कमला पुत्री भूपसिंह जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
26. ओमप्रकाश पुत्र हरदयाल जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
27. गुसाईराम पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
28. बलवान पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
29. डुंगरराम पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
30. रोहिताश पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी बडविराना तहसील नोहर।
31. राजेन्द्र कुमार पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
32. शैलेंन्द्र पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
33. सरजीत पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
34. अमरसिंह पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या—10

निर्णय दिनांकः—04.05.2026

अपीलांट विजय सिंह पुत्र चेतनराम व इन्द्रपाल पुत्र मंगनीराम निवासी बडबिराना तहसील नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2026 को पारित किया गया, को अपास्त करने बाबत ग्राम बड़बिराना के ख.नं. 493 की 5.7540 हैक्टर ख. नं. 501 की 5.6270 हैक्टर भूमि, ख. नं. 514 की 0.4300 हैक्टर बारानी भूमि कुल 3 किता की 11.8130 हैक्टर भूमि स्थित है।

1. अपीलान्टस द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर में बअनवानी विजयसिह आदि बनाम अमरसिंह आदि [illegible] हक व स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. [illegible] आधार पर प्रस्तुत कर रखा है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील [illegible] 149 के साबिका ख.नं. 160 की 39.19 बीघा भूमि साबिका ख.नं. 294 की [illegible] बीघा, साबिका ख.नं. 261 की 11.05 बीघा भूमि साबिका ख.नं. 264 की 53.08 बीघा भूमि साबिका ख.नं. 271 मीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की 83.17 बीघा भूमि ख. नं. 552/154 की 3 बीघा भूमि 10 बिस्वा भूमि साबिका ख. न. 544/81 की 26 बीघा भूमि कुल 7 खसरेजात की 257 की 6 बिस्वा खाम भूमि स्थित थी, जिसके चन्दूराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल साकिन बडबिराना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 29 के साबिका ख.नं. 511 की 11. 17 बीघा भूमि स्थित थी। जिसके चन्दूराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे।

2. वादीगण के दादा चन्दूराम पुत्रं गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर के निवासी थे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट के दादा चन्दूराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर की खातेदारी भूमि थी एवं अपीलान्टस के दादा चन्दूराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर फौत हो चुके है एवं चन्दूराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल के पांच पुत्रगण काशीराम, मगनीराम, चेतराम, सहीराम, एवं हरदयाल हुए जिनमे से काशीराम व मगनीराम, चेतनराम, सहीराम व हरदयाल फौत हो चुके है एवं इसके (पी) वारिसान को पक्षकार बनाया गया है अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 11 व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 12 ता 34 इनके वारिसान है।

3. वादग्रस्त भूमि चन्दूराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर क नाम दर्ज चली आ रही थी तथा वादग्रस्त भूमि चन्दूराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर के नाम दर्ज चली आ रही है तथा वादग्रस्त भूमि चन्दूराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर की निकाली हुई भूमि थी तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि में साबिका ख.नं. 160 की 22.15 बीघा, हाल ख.नं. 493 की 5.7540 हैक्टर भूमि साबिका ख.नं. 161 की हाल ख.नं. 489 की 30.12 बीघा भूमि रेसपोडेन्ट सं. 1 ता 17 एवं अपीलान्ट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्ट के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के द्वारा चन्दूराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना खातेदार काश्तकार है एवं चन्दूराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना की फौतदगी के बाद अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस वादगस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं वादग्रस्त भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारियों सके रेस्पोडेन्ट ने अकेले के नाम दर्ज करवा रखा है तथा वादग्रस्त भूमि अपी[illegible] दादा चन्दूराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बडबिरा[illegible] पैदा कर्दा कृषि भूमि थी एवं जिसके माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर में हक व हिस्से बाबत एवं अपने नाम दर्ज करवाने हेतु वाद पेश कर रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

4. मातहत अदालत में रेस्पोडेन्टस द्वारा रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के ख. नं. 493 की 5.7540 हैक्टर भूमि ख.नं.0501 की 5.6270 हैक्टर भूमि ख.नं. 514 की 0.4300 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 11.8110 हैक्टर भूमि का दिनांक 06.01.2026 का वादग्रस्त भूमि विभाजन करवा लिया एवं वादग्रस्त भूमि के सम्बध में पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा रिपोर्ट की गई मौके पर किसी प्रकार का विवाद/स्थगन नही है। जबकि रेस्पोडेन्ट व अपीलान्ट के मध्य माननीय न्यायालय उपखण्डधिकारी राजस्व नोहर मे विजय सिंह आदि बनाम अमरसिंह आदि वाद विचाराधीन है तथा उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बध में विवाद जैरकार है उसके बावजुद भी रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का एवं गिरदावर से साज–बाज कर विवादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन करवा लिया एवं मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश कतई विधि विरूद्व है, जो कि अपास्तनीय है।

5. रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के ख.नं. 493 की 5.7540 हैक्टर भूमि ख.नं. 0 501 की 5.6270 हैक्टर भूमि ख.नं. 514 की 0.4300 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 11.8110 हैक्टर भूमि पर माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर में प्रकरण सं. 121/2023 बअनवानी विजयसिंह आदि बनाम अमरसिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में स्थगन आदेश दोनो पक्षो को सुनाकर ताफैसला कन्फर्म किया गया था एवं उपरोक्त स्थगन आदेश में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2025 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ में अपील पेश कर रखी है । तथा माननीय न्यायालय उपखण्डधिकारी राजस्व नोहर में विचाराधीन प्रकरण बअनवानी विजय सिंह आदि बनाम अमरसिंह आदि में हक व हकुको को विनिश्चय होना था परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा प्राकृतिक न्याय की सिद्धान्तो की अवहेलना मे दिनांक 06.01.2026 को विवादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन करवाया है जो कि अपीलान्ट के हितो को नुक्शान पहुचाने हेतु करवाया गया है इसलिए मातहत अदालत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2026 अपास्तनीय है।

6. रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर की कुल 3 खसरेजात की 11.8110 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट एवं रेस्पोडेन्ट के साथ काबिज थे एवं वादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन रेस्पोडेन्ट ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों से साज–बाज कर अपीलान्ट के हितो को नुक्शान पहुचाने के लिए करवाया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो एवं विधि की अवहेलना में पारित किया गया निर्णय है इसलिए मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्तनीय है एवं पटवारी हल्का बडबिराना को विवाद/स्थगन के सम्बध में अच्छी तरह से ज्ञान था परन्तु उसके बावजुद भी किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

का विवाद न होने के सम्बध में टिप्पणी अंकित की गई है, जो कि कतई विधि विरूद्व है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकर फरमाई जाकर रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के ख.नं. 493 की 5.7540 हैक्टर भूमि ख.नं. 0 501 की 5.6270 हैक्टर भूमि ख.नं. 514 की 0.4300 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 11.8110 हैक्टर भूमि का माननीय मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2026 से खाता विभाजन किया गया को अपास्त फरमाया जावे।

पत्रावली पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9, 11 रजिस्ट्रर्ड डाक से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अतः रेस्पोडेन्ट 1 ता 9, 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–10 मनोहरलाल पुत्र बन्ताराम की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या–12 अधीनस्थ न्यायायलय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के ख0नं0 493 की 5.7540 हैक्टर भूमि ख0नं0 0. 501 की 5.6270 हैक्टर भूमि ख0नं0 514 की 0.4300 हैक्टर भूमि कुल 11.8110 हैक्टर भूमि का हक व हिस्सा बाबत दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में विचाराधीन है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र 212 आर. टी.ए. कन्फर्म किया गया। जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा स्थगित कर दिया गया। सहकाश्तकारान को क्षति पहुँचानें के उद्देश्य से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में दावा जेरकार रहते हुए ही खाता विभाजन करवाया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2026 अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकर की जावे।

अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलांट अपीलाधीन निर्णय खाता विभाजन दिनांक 06.01.2026 में प्रभावित पक्षकार नहीं है। हक व हिस्सा के निर्धारण बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में दावा विचाराधीन है एंव स्थगन प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. को कन्फर्म किया गया, जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा स्थगित कर दिया गया। खाता विभाजन में अंकित किया गया है कि कोई विवाद एवं स्थगन नहीं है। अपीलांट द्वारा बिना प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के अपील न्यायालय में पेश की गई है। यदि अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के अपील न्यायालय में पेश की गई है। यदि अपीलांट का उक्त वर्णित भूमि में कोई हक हिस्सा है तो न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया एंव न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 06.01.2026 को किये गये खाता विभाजन पक्षकारान की सहमती के आधार पर तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमती के आधार पर पारित खाता विभाजन में अपीलांट पक्षकार नहीं है। न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित (खाता विभाजन) निर्णय दिनांक 06.01.2026 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होनें से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 4/5/26 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested